न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/नवसृजित त्वरित न्यायालय,

भदोही–ज्ञानपुर।

मुकदमा संख्या– 149 सन् 2012

राज्य बनाम नियाज

27.06.2017–

वाद पुकारा गया। अभियुक्त हाजिर है। अभियोजन की ओर से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही कोई आख्या दी गयी है। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में नियत है। वादी मुकदमा के0 के0 कन्नौजिया को सम्मन भेजा गया अथवा नहीं, इसका कोई उल्लेख अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है, न ही कोंई वर्तमान पता न्यायालय में दिया गया है, जिससे कि जानकारी प्राप्त हो कि किस अभियोजन साक्षी को सम्मन भेजा गया। आदेश पत्र दिनांक 23.03.2017 का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। उक्त आदेश पत्र में साक्षी के0 के0 कन्नौजिया, राम कुमार श्रीवास्तव व राम चन्द्र तिवारी, आर0 के0 सिंह का वेतन व जो सेवानिवृत्त हो गये थें, उनका पेन्शन कुर्क किया गया था। साक्षियों के विरूद्व गैर जमानती अधिपत्र जारी किया गया था। वादी मुकदमा के0 के0 कन्नौजिया का वेतन कुर्क किया गया था। वे गैर जमानती अधिपत्र जारी करने के उपरान्त भी उक्त साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ, जब कि साक्षी के विरूद्व गैर जमानती अधिपत्र सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 इलाहाबाद कार्यालय में दाखिल किया गया है, जिससे यह दर्शित होता है कि साक्षी खण्डाधिकारी सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 इलाहाबाद से विशेष प्रश्रय प्राप्त है एवं वह न्यायालय में गवाही हेतु उपस्थित नहीं होना चाहता है। खण्डाधिकारी कार्यालय में गैर जमानती अधिपत्र की दाखिला रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। इसके अतिरिक्त साक्षी के विरूद्व किसी प्रतीडात्मक कार्यवाही क्या है। इस सन्दर्भ में अभियोजन की ओर से कोई याचना नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन कोई रूचि नहीं रखता है। अतः अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान धारा 313 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 15.07.2017 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/
नवसृजित त्वरित न्यायालय